


डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रुल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 125/2025

1. नानकराम पुत्र श्री शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी नाथवाना तहसील तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी नाथवाना तहसील तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी नाथवाना तहसील तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. लालचन्द पुत्र श्री शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी नाथवाना तहसील तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)



-वादीगण

बनाम्

1. सूरजमुखी पत्नी श्री शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. कमला पुत्री श्री शंकरलाल पत्नी श्री हंसराज जाति मेघवाल निवासी नाथवाना हाल आवाद रामपुरा नेओला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर(राज.)
3. विमला देवी पुत्री श्री शंकरलाल पत्नी श्री कालूराम जाति मेघवाल निवासी नाथवाना हाल आवाद रामसरां तहसील अबोहर जिला फाजिल्का(पंजाब)
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया।

-प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री गुरमीत सिंह कलसी, एडवोकेट
प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से :- श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल, एडवोकेट


दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. तथा 136 एल. आर. एक्ट

दिनांक :- 30.4.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक(आर.ए.एस.) के समक्ष
वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री गुरमीत सिंह कलसी वकील
लगातार --2

महायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

वादीगण मिन जामिन मुदई तथा श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं कि वाद वादीगण डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि चक 8 एन.टी.डब्ल्यू. के खाता सं. 108/90 खाता शंकरलाल जमाबन्दी सम्बत् 2073-2076 (जमाबन्दी 2078) में दर्ज कुल 0.759 है. आराजी के वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम अमलदरामद किया जाकर उक्त चक के उक्त खाता में से शंकरलाल पुत्र श्री श्रीराम उर्फ श्योकरण का नाम कलमजन किया जावे तथा उक्त चक के उक्त खाता की जमाबन्दी दुरुस्त की जाकर वादीगण के पिता का नाम शंकरलाल पुत्र श्री श्योकरण के स्थान पर शंकरलाल पुत्र श्री श्रीराम दर्ज किया जावे।



.....निलनिलमुब्लिकनिलबाबत्
.....निल..... खर्चा मुकदमें के मयथुद वा शरह फीसदी सालाना
आज की तारीख वसूलयाबी तकको अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 30.4.2013
को जारी किया जाता है।

(जय कौशिक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधीक्षक (राजस्व),
संगरिया